No. 16012/12/2005-Estt.(Allowances)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
******

New Delhi, dated 16th March, 2006

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Scheme for engagement of Consultants – Fixation of fee of retired Government servants engaged as Consultants.

In terms of this Department's O.M. No.16012/7/97-Estt.(Allowances) dated 13.02.1998, the ceiling of fee fixed in case of retired Government Servants engaged as full-time Consultants is Rs.13,000/= and for part-time Consultants is Rs.6,500/= p.m.

2. Consequent upon the merger of 50% DA with basic pay w.e.f. 1.4.2004, the question of increasing of ceiling of consultancy fee has been under consideration by this Department, based on references received from various quarters. In partial modification of para-2(d) of the above said O.M. relating to the amount of consultancy fee, it has been decided in view of the decision of the Government to merge 50% DA with basic pay w.e.f. 1.4.2004, that for the Government Servants retired on or after 30.4.2004 who are engaged as full time Consultants, the fee will be fixed subject to a ceiling of Rs.20,000/= p.m. They will also draw their pension and relief thereon in addition. If the Government Servants who retired on or after 30.4.2004 are engaged as part time Consultant, the fee will be fixed subject to the ceiling of Rs.10,000/= p.m. (without any adjustment of the pension drawn by him). In case any Ministry/Department wishes to appoint any retired Government servant as a Consultant at a fee higher than the limit prescribed, it should obtain the approval of the Appointments Committee of the Cabinet by following the procedure prescribed in this regard.

3. Ministries/Departments are requested to ensure that the **fee plus pension plus dearness pension should not exceed the last pay drawn plus dearness pay thereon.**

4. The fee for Government servants who retired on or before 31.3.2004 and engaged as Consultants will remain Rs.13000/- p.m. for full time Consultant and Rs.6500/- p.m. for part time Consultant, as there was no element of Dearness pay prior to 1.4.2004.

5. These orders will take effect from the date of issue. The fee for Government Servants who retired on or after 30.4.2004 and engaged as Consultants prior to issue of this OM and whose Consultancy is continued after issue of this OM with proper approval, may be refixed w.e.f. the date of issue of this OM at revised rates.

6. All other terms and conditions in the aforesaid guidelines will remain same.

7. So far as persons working in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders have been issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version will follow.

16/3/06

(S. Meenakshisundaram)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments
(As per the standard list).

संख्या-16012/12/2005-स्थापना (भत्ते)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 16 मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: परामर्शदाता नियुक्त किए जाने के संबंध में योजना- परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का शुल्क नियत किया जाना।

इस विभाग के दिनांक 13.02.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16012/7/97-स्थापना (भत्ते) के अनुसार पूर्णकालिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में नियत किए गए शुल्क की अधिकतम सीमा 13,000/- रु. प्रतिमाह और अंशकालिक परामर्शदाता के लिए 6500/- रु. प्रतिमाह है।

2. दिनांक 01.04.2004 से मूल वेतन में 50% मंहगाई भत्ते के संविलयन के परिणामस्वरूप, परामर्श-शुल्क की अधिकतम सीमा को बढ़ाए जाने से संबंधित मामला विभिन्न क्षेत्रों से मिले संदर्भों के आधार पर इस विभाग के विचाराधीन रहा है। परामर्श-शुल्क की धनराशि से संबंधित उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(घ) के आंशिक संशोधन में, 01.04.2004 से मूल वेतन में 50% मंहगाई भत्ते को संविलयित कर दिए जाने संबंधी सरकार के निर्णय के मद्देनजर यह तय किया गया है कि 30.04.2004 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें पूर्णकालिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, के संबंध में शुल्क का निर्धारण 20,000/- रु. प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन किया जाएगा। उन्हें पेंशन और इसके अतिरिक्त उस पर राहत भी मिलेगी। यदि 30.04.2004 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को अंशकालिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनके संबंध में शुल्क 10,000/- रु. प्रतिमाह (उनके द्वारा ली जा रही पेंशन के किसी समायोजन के बिना) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नियत किया जाएगा। यदि कोई मंत्रालय/विभाग किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को शुल्क की निर्धारित अधिकतम सीमा से उच्चतर शुल्क पर परामर्शदाता रखना चाहे तो उस स्थिति में उसे इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

3. मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि शुल्क जमा पेंशन जमा मंहगाई पेंशन की धनराशि, अंतिम आहरित वेतन तथा उस पर जमा मंहगाई वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. दिनांक 31.03.2004 को अथवा उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए और पूर्णकालिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों को 13,000/- रु. प्रतिमाह शुल्क और अल्पकालिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुए कर्मचारियों को 6500/- रु. प्रतिमाह शुल्क मिलता रहेगा क्योंकि दिनांक 01.04.2004 से पूर्व मंहगाई वेतन का घटक मौजूद नहीं था।

5. ये आदेश, इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। दिनांक 30.04.2004 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले और इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सरकारी कर्मचारी और वे जिनकी परामर्शदायी सेवाएं उपयुक्त अनुमोदन से इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद भी जारी रहती हैं, उनके संबंध में शुल्क, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से संशोधित दरों पर पुनः निर्धारित किया जाए।

6. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में दी गई अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

7. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

एस. मीनाक्षीसुंदरम

(एस. मीनाक्षीसुंदरम)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)